माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1524 / 06 / एके0 / MSU / 2023–24 दिनांक: 20-11-23

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक (B.A./B.Sc./B.Com) पंचम व षष्ठम सेमेस्टर तथा परास्नातक (M.A/M.Sc./M.Com) पाठ्यक्रमों में शोध परियोजना (Research Project) कराये जाने हेतु दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। आप भली भाति भिज्ञ है कि शैक्षणिक सत्र 2023–24 में स्नातक (B.A./B.Sc./B.Com) तथा परास्नातक (M.A/M.Sc./M.Com) पाठ्यक्रमों सहित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया जारी / पूर्ण हो गई है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 सत्र 2021–22 से लागू की जा चुकी है तथा परास्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 वर्तमान सत्र 2023–24 से लागू कर दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक (B.A./B.Sc./B.Com) पंचम व षष्ठम सेमेस्टर तथा परास्नातक (M.A/M.Sc./M.Com) पाठ्यक्रमों में शोध परियोजना (Research Project) कराये जाने हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे है :–

(अ) स्नातक कक्षाओं हेतु

(1) स्नातक कक्षाओं के पंचम सेमेस्टर में सभी छात्र–छात्राओं द्वारा अनिवार्य रूप से एक लघुशोध परियोजना (Qualifying) की जायेगी जो नियमानुसार उनके द्वारा चयनित दोनों मुख्य विषयों अथवा अन्य किसी विषय से सम्बन्धित हो सकती है।

लघुशोध परियोजना (अधिकतम अंक 100 एवं न्यूनतम 40 अंक) सम्बन्धित विभाग के किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में ही की जायेगी, जिसका मूल्यांकन सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रगति आख्या (Progress Report) के प्रस्तुतीकरण (Prensentation) के आधार पर किया जायेगा।

(2) स्नातक कक्षाओं के षष्ठम सेमेस्टर में छात्र–छात्राओं द्वारा अपने शिक्षक (गाइड) के निर्देशानुसार पंचम सेमेस्टर में चुने हुए विषय की लघु शोध परियोजना को पूर्ण कर टाईप एवं स्पाईरल बाइंडिग कराकर सेमेस्टर परीक्षा के आरम्भ होने से पूर्व जमा कराना होगा जिसका मूल्यांकन / मौखिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त सम्बन्धित विषय के आंतरिक एवं वाह्य विशेषज्ञ द्वारा करायी जायेगी। जिनका मूल्यांकन अधिकतम 100 अंकों में से होगा।

लघु शोध परियोजना हेतु न्यूनतम शब्द सीमा 10,000 (दस हजार) होना आवश्यक है।

(ब) परास्नातक कक्षाओं हेतु

(1) परास्नातक कक्षाओं में सभी छात्र–छात्राओं द्वारा प्रत्येक दो सेमेस्टर में एक वृहद शोध परियोजना (Reserch Project) किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक सेमेस्टर में शोध परियोजना 4–4 क्रेडिट की होगी।

(2) शोध परियोजना हेतु छात्रों को विभागीय शिक्षकों में विशेषज्ञता एवं सुविधा अनुसार आवंटित किया जा सकता है। प्रत्येक दशा में छात्र को शोध परियोजना हेतु महाविद्यालय / स्कूल द्वारा शिक्षक (गाइड) उपलब्ध कराना है।

(3) वृहद शोध परियोजना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही की जायेगी, जोकि अधिकतम 100 अंकों की होगी। उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को न्यूनतम 40 अंक लाना आवश्यक है।

(4) विषम (Odd) सेमेस्टर में शोध परियोजना का मूल्यांकन सम्बन्धित विषय के शिक्षकों द्वारा परियोजना की प्रगति आख्या का विभागीय स्तर पर प्रस्तुतीकरण (Prensentation) आयोजित कराकर किया जायेगा।

(5) सम (Even) सेमेस्टर में छात्र–छात्राओं द्वारा वृहद शोध परियोजना को पूर्णकर हार्डबाइण्ड करा कर प्रत्येक दशा में सेमेस्टर परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व जमा कराना अनिवार्य होगा। जिसका मूल्यांकन/मौखिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त सम्बन्धित विषय के आंतरिक एवं वाह्य विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा, जोकि अधिकतम 100 अंकों में से होगा। उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को न्यूनतम 40 अंक लाना आवश्यक है।

वृहद शोध परियोजना हेतु न्यूनतम शब्द सीमा 15,000 (पन्द्रह हजार) होना आवश्यक है।

(6) जिन छात्रों द्वारा परास्नातक कक्षाओं में किए गये वृहद शोध परियोजना से UGC Care Listed/Peer Reviewed/ Refereed शोध पत्रिकाओं (Research Journals) में शोध पत्र (Research Article) प्रकाशित कराया जायेगा उन्हें इस कार्य हेतु 25 अंक प्रदान किये जायेंगे शोध परियोजना हेतु अधिकतम अंक सीमा 100 होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. प्रवेश समन्वयक।
02. परीक्षा नियंत्रक।
03. प्रभारी, परीक्षा विभाग।
04. अधिकृत एजेंसी को इस आशय से प्रेषित की इसके आवंटन हेतु पोर्टल पर व्यवस्था करें।
05. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव